



श्रीमती योजना

## कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान



क्रमांक:- एफ 5( )एफ.सी.ए./मुवसज/2022-23/1423

दिनांक:-

01/8/23

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.852 Ha. forest land for Construction of Toll plaza between km 115 to km. 116 at Delhi-Jaipur section of NH 8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

(Proposal No. FP/RJ/ROAD/41266/2019)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1155 दिनांक 28.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर उप वन संरक्षक अलवर ने उनके पत्रांक 315 दिनांक 18.01.2023 द्वारा प्रस्ताव चार प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित किया है जो अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:-

क.सं.	ई.डी.एस.	प्रत्युत्तर
1	There is violation in the proposal so what action was taken against the concerned officers.	उक्त टोल प्लाजा का निर्माण वर्ष 2006 में किया गया। जिसका उल्लेख भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम सैद्धान्तिक स्वीकृति 8वीं/राज/06/13/2009/एफ.सी./677 दिनांक 08.09.2009 (संलग्न) में किया गया है। इस सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् यूजर एजेंसी द्वारा शर्तों की पालना नहीं की जाकर वर्ष 2019 में पुनः प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा उनके पत्रांक 281 दिनांक 29.04.2019 (संलग्न) एवं 1988 दिनांक 11.11.2022 (संलग्न) से जानकारी दी है कि तत्कालीन जयपुर परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे परन्तु किसी भी अधिकारी द्वारा जान-बुझकर उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।
2	Calculation of penal NPV has to be taken.	Calculation of penal NPV का गणना पत्र संलग्न है।
3	CA scheme/ estimate should be given site specific	Detailed CA scheme estimate संलग्न है।

संलग्न:- उक्तानुसार (3 सैट)।

भवदीय,

(मनफूल सिंह)

मुख्य वन संरक्षक

जयपुर

दिनांक:-

01/8/23

क्रमांक:- एफ 5( )एफ.सी.ए./मुवसज/2022-23/1424

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, अलवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

मुख्य वन संरक्षक,

जयपुर